

22-11/21

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

पूजलाल 17-177

बनाम

सरकार

नम्बर

375

सन् 2021

किसम मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
22-11-21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>शुभेजा</u>            रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/            दिनांक 22-11-21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग            अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>शुभेजा</u>            में प्रार्थी के नाम चक <u>17-177</u> की जमाबंदी सम्बत  <u>2018-18</u> के खाता सं. <u>18</u> में  <u>पूजलाल 5/0 एवरीराज जारि के नाम</u>            के स्थान पर <u>पूजलाल 5/0 एवरीराज जारि</u>  <u>शुभेजा</u>            की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है।            प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प            कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार            दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति            जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब            तहसीलदार <u>शुभेजा</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा            के आधार पर वाके चक <u>17-177</u> तहसील            रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2018-18</u>            के खाता सं. <u>18</u> में  <u>पूजलाल 5/0 एवरीराज जारि के नाम</u>            के स्थान पर  <u>पूजलाल 5/0 एवरीराज जारि</u>  <u>शुभेजा</u>            की दुरुस्ती करने            के आदेश दिए जाते हैं। शेष अकन बदस्तूर जमा। इसी            अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाते। इसी आशय            का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।            पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल रफ़्तार हो।            आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी  
 रायसिंहनगर  
 कैम्प 375